**GOVERNMENT OF INDIA /BHARAT SARKAR**
**MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA**
**(RAILWAY BOARD)**

**S.No. PC-V/80** **RBE No.109/98**
**No. PC-V/98/I/6/3** **New Delhi, dated 29.5.98**

**The GMs/OSDs/CAOs etc.**
All Indian Railways & Production Units,
(As per Mailing List)

Sub: Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 -Fixation of pay of Government servants who opt for the revised scale of pay from a date subsequent to 01.01.96.

Reference Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 wherein under the provisions contained in Rule 9 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997, where a Government servant continues to draw his pay in the existing scale of pay and is brought over to the revised scale from a date later than the 1st day of January, 1996, his pay from the later date in the revised scale is to be fixed under the Railway Fundamental Rules and not under Rule 7 of the said rules.

2. On further consideration and in exercise of the power available under Rule 13 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997. the President is pleased to decide that the pay of Government servants who opt to switch over to the revised scale of pay from the date of their next increment falling after 01.01.96 but not later than 31.12.1996 in respect of the post held by them on 01.01.1996 shall be fixed in accordance with the provisions of Rule 7 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997.

3. The option in the format appended as the Second Schedule to the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 may be exercised within 3 months from the date of issue of this letter. The option once exercised shall be final. The option now provided under these orders can be exercised afresh even by those Government servants who have already exercised their option prior to the issue of these orders to switch over to the revised scales. However, the pay of Government servants who opt to switch over to the revised scales -

(a) from date of increment falling subsequent to 31.12.1996 or
(b) from any date after 1.1.1996, for reasons other than their date of increment falling during 1996,

shall be fixed under Rule 9 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Hindi version is enclosed.

(Neera Khullia)
**Director Pay Commission**

**No. PC-V/98/I/6/3** **New Delhi, dated 29.5.98**

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi.

**for Financial Commissioner, Railways**

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं0 पी सी-V/80 आर बी ई सं0 109/98

सं0 पी सी V/98/आई/6/3 नयी दिल्ली, दि0 21.5.98.

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)/विशेष कार्याधिकारी आदि
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय:- रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997- उन सरकारी कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण जिन्होंने 1.1.96 के बाद किसी तारीख से संशोधित वेतनमान का विकल्प दिया हो.

रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 देखें, जिनके अनुसार रेल सेवा (संशोधित वेतन), 1997 के नियम 9 में अन्तर्विष्ट व्यवस्थाओं के अन्तर्गत, यह उल्लेख किया गया है कि जहां कोई सरकारी कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है तथा जिसे 1 जनवरी, 1996 के बाद की किसी तारीख से संशोधित वेतनमान में लाया जाता है तो उस स्थिति में संशोधित वेतनमान में उसका वेतन रेल के मूल नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाएगा, न कि उक्त नियमों के नियम 7 के अन्तर्गत.

2. इस संबंध में आगे विचार करते हुए तथा रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 के नियम 13 के अन्तर्गत उपलब्ध शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जी सहर्ष यह निश्चय करते हैं कि उन सरकारी कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण, जिन्होंने 1.1.96 को अपने द्वारा धारित पद के संदर्भ में 1.1.96 के बाद आने वाली अगली वेतनवृद्धि की तारीख किन्तु 31.12.96 के बाद नहीं, संशोधित वेतनमान के लिए अपना विकल्प दिया है, रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 के नियम 7 के अनुसार किया जाएगा।

3. इस पत्र के जारी होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 की दूसरी अनुसूची के रूप में संलग्न फार्मेट में विकल्प दिया जाए। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। इन आदेशों के अन्तर्गत का प्रयोग दिया जाने वाला विकल्प उन कर्मचारियों द्वारा भी नए सिरे से किया जा

सकता है जिन्होंने इन आदेशों के जारी होने से पहले संशोधित वेतनमान के लिए अपना विकल्प पहले ही दे दिया है । बहरहाल, उन सरकारी कर्मचारियों का संशोधित वेतनमान के लिए अपना विकल्प देते हों, निम्नलिखित तारीखों से ही सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1997 के नियम 9 के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा

(क) 31.12.96 के बाद आने वाली वेतनवृद्धि की तारीख से अथवा

(ख) 1996 के दौरान पड़ने वाली उनकी वेतनवृद्धि की तारीख के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से, 1.1.96 के बाद की किसी तारीख से ।

4. यह रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है ।

(नीरा खुटिया)
निदेशक, वेतन आयोग,
रेलवे बोर्ड.